न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी का नाम – बृजेश गुप्ता (R.A.S)
मुकदमा नम्बर – 03/2025
किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक – 15.01.2025
निर्णय दिनांक – 07.03.2025

अनवान

1. ठाकुर चपलोत पिता श्री हस्तीमल जी चपलोत (महाजन) निवासी नेशनल हाईवे न० 8, सेवाली, राजसमन्द, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

......................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय राजसमन्द, तहसील राजसमन्द व जिला राजसमन्द (राज.)

......................विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित
अधिवक्ता प्रार्थी – श्री नरोत्तम पालीवाल
विपक्षी – पेरोकार राज

निर्णय

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 पत्थरगढी कराने बाबत् पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम केरोट पटवार हल्का एमडी तहसील व जिला राजसमन्द के आराजी संख्या 21, 22 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2995 हैक्टेयर कृषि भूमियां प्रार्थी की खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की है। उक्त कृषि भूमिया प्रार्थी की क्रयशुदा होकर प्रार्थी ही लगातार काबिज होकर, निर्बाध रूप से खेती, उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमियों के पड़ोसी आराजी संख्या 19 व 20 के खातेदारान ताकत के बल पर प्रार्थी की उक्त वर्णित कृषि भूमियों में नाजायज अतिक्रमण कर पत्थरो की बाउंडरी बनाना चाह रहे है। जिसका उनको कोई हक व अधिकार नहीं है। वे अवैध रूप से सीमा विवाद कर रहे है। वे सीमांकन को नही मान रहे है। मौके पर सीमा विवाद उत्पन्न हो रहा है। विवाद के स्थाई निराकरण के लिए न्यायहित में प्रार्थी की उक्त क्रयशुदा कृषि भूमियों का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को आदेश फरमाया जावे कि राजस्व ग्राम केरोट, पटवार हल्का एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द स्थित प्रार्थी के खातेदारी, स्वामित्व एवं आधिपत्य की आराजी संख्या 21 व आराजी संख्या 22 कुल खसरे 2 क्षेत्रफल 0.2995 कृषि भूमियों का नियमानुसार सीमांकन कर पत्थरगढ़ी की जावे तथा अन्य अनुतोष, जो प्रार्थी को प्रदान किया जाना न्यायोचित हो, वह भी प्रार्थी को प्रदान करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी की और से पेरोकार सरकार ने उपस्थिति दी। पेरोकार सरकार द्वारा पत्रावली पर यह नोट अंकित किया गया कि प्रार्थी खातेदार कृषक है समस्त पडौसियों को पक्षकार बनाया जाना उचित है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुना दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि राजस्व ग्राम केरोट पटवार हल्का एमडी तहसील व जिला राजसमन्द के आराजी संख्या 21, 22 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2995 हैक्टेयर कृषि भूमियां प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व आधिपत्य की है। प्रार्थी आये दिन होने वाले सीमा विवाद के निस्तारण हेतु अपनी उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजसमन्द

Scanned with ACE Scanner

है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त भूमि का पत्थरगढी आदेश प्रदान करे।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस को सुनकर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम केलवा की जमाबन्दी सम्वत 2077–2077 की खाता संख्या 56 अनुसार आराजी संख्या 21, 22 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमियां प्रार्थी की एकल खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है उक्त आराजी निर्विवादित रूप से प्रार्थी की एकल खातेदारी की होकर प्रार्थी पत्थरगढी कराने का अधिकारी है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनिम 1956 बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार राजसमन्द को कमिश्नर शुल्क राशि 2000/– रू पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौके पर निर्माण नही हो एवं किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना राजस्व ग्राम केरोट पटवार हल्का एमडी तहसील व जिला राजसमन्द के आराजी संख्या 21, 22 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2995 हैक्टेयर भूमियों की नियमानुसार सीमा जानकारी कराते हुए विधिसम्मत पत्थरगढी की कार्यवाही करावे यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कमिश्नर शुल्क प्रार्थी अदा करे। तहसीलदार राजसमन्द को तहरीर जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

बृजेश गुप्ता (R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

(सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द)

(न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द)

उक्त आदेश आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की गोल मोहर से जारी किया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
राजसमंद

(उपखण्ड अधिकारी) राजसमन्द

(न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द, सत्यमेव जयते)

Scanned with ACE Scanner